Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जालौर में कृषि उपज मंडी का सैल्समेन/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 9 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *31 दिसम्बर, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जालौर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **भंवर सिंह सैल्समेन/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आहोर कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी, आहोर हाल सहायक खरीद प्रभारी, खरीद केन्द्र कृषि उपज उप मंडी, आहोर, जिला जालौर** को परिवादी से **9 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की जालौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी मूंग की पैदावार की बोरियों/कट्टों का कृषि मंडी में तोलकर खरीदने की एवज में आरोपी भंवर सिंह सैल्समेन द्वारा **9 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरवीजन में एसीबी की जालौर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मांगीलाल राठौड़** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी भंवर सिंह सैल्समेन को परिवादी से **9 हजार रुपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।